28/10/25 पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 151, 152 CPC प्रार्थी सुखराम द्वारा पेश होने पर पेशी में ली गई। वादी एवं प्रति पक्ष 1, 2, 4, 5, 6, 8 द्वारा वाद पत्र में संलोचित राजीनामा पेश कर निर्णय व डिक्री दिनांक 8/10/25 संलोचित कर डिक्री पारीत किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्षों की उपस्थिति में व सहमति अनुसार न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री दिनांक 8/10/25 संलोचित की जाती है संलोचित डिक्री व निर्णय जारी है। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

ठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
ादपत्र अन्तर्गत धाराः- 188, 53 आर.टी.ए.
ाकरण संख्याः- 427/2025

सुखराम पुत्र श्री कृष्णलाल जाति नायक निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
-:वादी

बनाम्

1 खेतपाल पुत्र श्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 लक्ष्मणराम पुत्र श्री दौलतराम उर्फ दौलाराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 संदीप कुमार पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 सन्तराम पुत्र श्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दौलतराम उर्फ दोलाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर-4, धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 हेतराम पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ भंवराराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
8 हंसराज पुत्र श्री रामकरण जाति नायक निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-
1. श्री विनोद पारीक - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री विपिन स्वामी - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 6, 8
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 7

-: संसोधित निर्णयः-

दिनांक 28.10.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणिक पता वही है, जो वाद के शीर्षक में अंकित किया गया है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 112/198 (36) के किला नम्बर 5/1/.215, 5/2/.038, 6/1/.215, 6/2/.038, पत्थर नम्बर 113/198 (37) किला नम्बर 1/.202, 2/2/.114, 2/3/.025, 3/1/.012, 7/2/.077, 8/1/.114, 9/.215, 10/.253 कुल तादादी 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

यह कि उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खाता में स्थित है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा अर्थात .253 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में अर्सा कई वर्ष पूर्व घराघरू बंटवारा हो चुका है जिसमें वादी के कब्जा काश्त में चक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

4 एम. एम. के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 113/198 (37) के किला नम्बर 1/.004, 10/.009, 2/2/.025, 9/.215 कुल तादादी 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि हनुमानगढ़ से अबोहर सड़क के चिपती हुई है जो घरू बंटवारा में प्राप्त हुई जिस पर वादी लगातार काश्त करता चला आ रहा है व उक्त कृषि भूमि वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। वादी ने अपने श्रम साधनों से उपरोक्त कृषि भूमि को संवारा व सुधारा है तथा इसे ओर अधिक उपयोगी व उपजाऊ बनाया है, लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के साथ संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है जिस कारण वादी का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के साथ सींव, बट व रकमराज को लेकर विवाद रहता है इस कारण वादी उक्त कृषि भूमि चक 14 एम.एम. के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 113/198 (37) के किला नम्बर 1/.004, 10/.009, 2/2/.025, 9/.215 कुल तादादी 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि जो हनुमानगढ़ से अबोहर सड़क के चिपती हुई है, का खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि उपरोक्त कृषि भूमि में पत्थर नम्बर 113/198 मुरबा नम्बर 37 के किला नम्बर 2 में से हनुमानगढ़ से अबोहर सड़क गुजरती है। उक्त सड़क के कारण उक्त किला तीन भागों में विभक्त हो चुका है जिसमें राजस्व अभिलेख में किला नम्बर 2/2/.114 हैक्टेयर व 2/3/.025 हैक्टेयर भूमि दर्ज है जबकि मौका पर 2/2 में .025 हैक्टेयर व किला नम्बर 2/3 में .114 हैक्टेयर भूमि है इस कारण उक्त राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। वादी के आधिपत्य व धारण में किला नम्बर 2/2 में .025 हैक्टेयर भूमि का कब्जा है इस कारण वादी किला नम्बर 2/2 में .025 हैक्टेयर व किला नम्बर 2/3 में .114 हैक्टेयर भूमि को राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि उपरोक्त कृषि भूमि में वादी द्वारा अत्यधिक मेहनत कर खर्चा लगाकर सुधार किया तथा उपरोक्त कृषि भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बनाया है. लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता बिना खाता विभाजन करवाए अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल करने हेतु कटिबद्ध है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अपने इस गलत मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त परिस्थितियों में वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 112/198 (36) के किला नम्बर 5/1/.215, 5/2/.038, 6/1/.215, 6/2/.038, पत्थर नम्बर 113/198 (37) किला नम्बर 1/. 202, 2/2/.114, 2/3/.025, 3/1/.012, 7/2/.077, 8/1/.114, 9/.215, 10/.253 कुल तादादी 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि को बिना विधिवत रूप से विभाजन करवाए किसी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे उपरोक्त कृषि भूमि का खाता अलग करवाने में अपनी सहमति दे देंवे तो वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या-7 उक्त कृषि भूमि का भूधारक है जो विभाजन के वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार है इस कारण प्रतिवादीगण संख्या-7 को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि 3/-रूपये के यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद पत्र वादी निम्न तरीका से विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे-

कि वाद पत्र की चरण संख्या-3 में वर्णित वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 14 एम.एम. के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 113/198 (37) के किला नम्बर 1/.004, 10/.009, 2/2/.025, 9/.215 कुल तादादी 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि जो हनुमानगढ़ से अबोहर सड़क के चिपती हुई है, का खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम फरमाई जावे।

कि चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 113/198 (37) के किला नम्बर 2/2/.114 हैक्टेयर व 2/3/.025 हैक्टेयर भूमि को दुरुस्त कर इसके स्थान पर चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में किला नम्बर 2/2 में .025 हैक्टेयर व किला नम्बर 2/3 में .114 हैक्टेयर भूमि दर्ज की जावे।

कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वाद पत्र की चरण संख्या-2 में वर्णित भूमि चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 112/198 (36) के किला नम्बर 5/1/.215, 5/2/.038, 6/1/.215, 6/2/.038, पत्थर नम्बर 113/198 (37) किला नम्बर 1/202. 2/2/.114, 2/3/.025, 3/1/.012, 7/2/.077, 8/1/.114, 9/.215, 10/.253 कुल तादादी 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि को बिना विधिवत रूप से विभाजन करवाए किसी प्रकार से रहन वैय व मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं 1 ता 6, 8 की ओर से अधिवक्ता विपिन स्वामी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4, 5 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 6, 8 ने जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया। ने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर धारा 136 अनुतोष को विड्रा किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादीगण एवं प्रतिदावा स्वीकार कर डिक्री दिनांक 08.10.2025 से दावा डिक्री किया गया। उभयपक्ष द्वारा वाद पत्र में प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश किया व संसोधित राजीनामा पेश कर संसोधित डिक्री व निर्णय पारीत किये जाने का निवेदन किया। अतः संसोधित राजीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री संसोधित जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व मुताबिक सहमति के घोषणा की जाती है कि:- वादी सुखराम को चक 14 एमएमके तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 113/198 के किला नम्बर 2/2 में दर्ज .114 हैक्टेयर में से किला नम्बर 1 के चिपते .010 हैक्टेयर कृषि भूमि उत्तर से दक्षिण लम्बाई में छोड़ते हुए वादी सुखराम को .051 हैक्टेयर किला नम्बर 9 के चिपते हुए पूर्व से पश्चिम दिशा में व किला नम्बर 9/.215 में .013 हैक्टेयर किला

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

म्बर 10 के चिपते हुए उत्तर से दक्षिण लम्बाई में छोड़ते हुए शेष .202 हैक्टेयर कृषि भूमि इस कार वादी को पत्थर नम्बर 113/198 मुरबा नम्बर 37 किला नम्बर 2/2 में .051 हैक्टेयर व किला नम्बर 9 में .202 हैक्टेयर कुल तदादी .253 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या-6 हेतराम पुत्र भंवरलाल को चक 14 एमएमके तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 112/198 मुरबा नम्बर 36 के किला नम्बर 6/1/.215 में किला नम्बर 15 के चिपते पूर्व से पश्चिम लम्बाई में .063 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है व प्रतिवादी संख्या-8 हंसराज पुत्र रामकरण को चक 14 एमएमके तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/52 के पत्थर नम्बर 112/198 मुरबा नम्बर 36 के किला नम्बर 6/1/.215 में किला नम्बर 15 के चिपते पूर्व से पश्चिम लम्बाई में .063 हैक्टेयर कृषि भूमि छोड़कर .063 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है व पक्षकारान इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 8 का खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु. /गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ